

अनुबंध -I
(पैरा 8.1.2.1 देखें)
लक्ष्य तथा उपलब्धि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
ग्राहक कारबार डिवीजन			
लक्ष्य	84.92	88.43	113.71
उपलब्धि	59.14	65.51	79.93
उपलब्धि का प्रतिशत	69.64	74.08	70.29
हाई-केयर डिवीजन			
लक्ष्य	60.03	77.97	107.88
उपलब्धि	42.50	53.57	73.64
उपलब्धि का प्रतिशत	70.80	68.70	68.27
नारी स्वास्थ्य देखभाल डिवीजन			
लक्ष्य	75.00	95.58	129.00
उपलब्धि	82.34	110.05	117.37
उपलब्धि का प्रतिशत	110	115.13	90.98
अन्तर्राष्ट्रीय कारबार डिवीजन			
विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
लक्ष्य	76.60	206.76	165.29
उपलब्धि	126.96	133.11	155.58
उपलब्धि का प्रतिशत	165.74	64.38	94.12
सरकारी कारबार डिवीजन			
लक्ष्य	कोई लक्ष्य निश्चित नहीं		
उपलब्धि	319.10	283.56	342.85

अनुबंध-II

{ पैरा संख्या 11.5.3.1(क) देखें }

20 मीड/मेगालाईफ आरएण्डएम योजनाओं की विभिन्न आरएण्डएम गतिविधियों में विलम्ब के ब्यौरे

(माह में विलम्ब)

क्र. सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	आरएण्डएम योजना के प्रकार	विद्युत स्टेशनों को प्रारंभ करने में विलम्ब [@]	विद्युत स्टेशनों द्वारा निगम कार्यालय को अंतिम प्रस्ताव के प्रस्तुत करने में विलम्ब	सीईए को भेजने से पूर्व ¹ ईडी स्तर समिति द्वारा अनुमोदन में विलम्ब	सीईए ² द्वारा अनुमोदन में विलम्ब	सीईए के अनुमोदन के बाद ईडी स्तरीय समिति द्वारा अन्तिम अनुमोदन में विलम्ब	सीएमडी/बोर्ड द्वारा निवेश के अनुमोदन में विलम्ब	कुल विलम्ब
	निर्धारित समय	आरएण्डएम नीति के अनुसार		8 माह	8 माह	8 माह	1 माह	1 माह	
1	कोबरा एसटीपीएस (3x500मे.वा.) स्तर-II	मीड	कोई विलम्ब नहीं [*]	4	लागू नहीं ³	अपेक्षित नहीं	कोई विलम्ब नहीं	8	12

¹ सीईए को भेजने से पूर्व प्रबन्धन अनुमोदन के लिए एक माह का समय विलम्ब के लिए माना नहीं गया था।² सीईआरसी टेरिफ विनियमावली 2009-14 के अनुसार सीईए अनुमोदन मार्च 2009 के बाद अपेक्षित नहीं था।³ सीईए को भेजने से पहले ईडी स्तर की सशक्त समिति से अनुमोदन सीईआरसी टेरिफ विनियमावली 2009-14 के मद्दे नजर मार्च 2009 के बाद लागू नहीं था।

2	कोबरा एसटीपीएस (3x500मे.वा.) स्तर-II	मीड (सीएण्डआई ⁴)	कोई विलम्ब नहीं*	कोई विलम्ब नहीं	6	कोई विलम्ब नहीं	धारित नहीं	3	9
3	सिंगरोली एसटीपीएस (2x500 मे.वा.) स्तर-II	मीड	कोई विलम्ब नहीं*	कोई विलम्ब नहीं	लागू नहीं	अपेक्षित नहीं	कोई विलम्ब नहीं	10	10
4	सिंगरोली एसटीपीएस (2x500 मे.वा.) स्तर-II	मीड (डीडीसीएमआई एस)	कोई विलम्ब नहीं*	2	कोई विलम्ब नहीं	कोई विलम्ब नहीं	धारित नहीं	1	3
5	दादरी टीपीएस (4x210 मे.वा.)	मीड	12	20	12	10	धारित नहीं	28	82
6	रामागुंडम एसटीपीएस (3x500 मे.वा.) स्तर-II	मीड	कोई विलम्ब नहीं*	कोई विलम्ब नहीं	लागू नहीं	अपेक्षित नहीं	34	8	42
7	फरक्का एसटीपीएस (2x500 मे.वा.) स्तर -II	मीड	कोई विलम्ब नहीं*	कोई विलम्ब नहीं	लागू नहीं	अपेक्षित नहीं	कोई विलम्ब नहीं	कोई विलम्ब नहीं	0
8.	कोबरा एसटीपीएस (3x200 मे.वा.) स्तर-I	मेगा	19	18	लागू नहीं	अपेक्षित नहीं	19	6	74
9	कोबरा एसटीपीएस (3x200 मे.वा.), स्तर-I	मेगा (सीएण्डआई)	19	18	लागू नहीं	अपेक्षित नहीं	कोई विलम्ब नहीं	10	47

⁴ नियंत्रण एवं इन्स्ट्रुमेंटेशन प्रणाली

2016 की प्रतिवेदन संख्या 15 (खण्ड I)

10	कोबरा एसटीपीएस (3x200 मे.वा.), स्तर-I	मेगा (ईएसपी ⁵ स्तर I एवं II)	निगम कार्यालय द्वारा प्रारंभ किया गया	64	लागू नहीं	अपेक्षित नहीं	कोई विलम्ब नहीं	9	73
11	सिंगरोली एसटीपीएस (5x200 मे.वा.) स्तर-I	मेगा	38	4	लागू नहीं	अपेक्षित नहीं	34	6	82
12	सिंगरोली एसटीपीएस (5x200 मे.वा.) स्तर-I	मेगा (सीडब्ल्यू ⁶ डक्ट)	38	4	लागू नहीं	अपेक्षित नहीं	3	4	49
13	सिंगरोली एसटीपीएस (5x200मे.वा.) स्तर-I	मेगा (ईएसपी स्तर – I एवं II)	38	38	लागू नहीं	अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं	कोई विलम्ब नहीं	76
14	बादरपुर टीपीएस(2x210 मे.वा.) यूनिट 4एवं5	मेगा	कोई विलम्ब नहीं	11	30	कोई विलम्ब नहीं	अपेक्षित नहीं	20	61
15	बादरपुर टीपीएस (3x95 मे.वा. + 2x210 मे.वा.)	मेगा (सीडब्ल्यू डक्ट)	कोई विलम्ब नहीं	11	30	29	अपेक्षित नहीं	39	109

⁵ इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर

⁶ क्लिंग वाटर डक्ट

16	रामागुंडम एसटीपीएस (3x200 मे.वा.) स्तर-I	मेगा	20	17	लागू नहीं	अपेक्षित नहीं	19	3	59
17	फरक्का एसटीपीएस (3x200 मे.वा.) स्तर-I	मेगा ईएसपी	निगम कार्यालय द्वारा प्रारंभ किया गया	50	अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं	कोई विलम्ब नहीं	50
18	झानोर जीपीएस (657.39 मे.वा.)	मेगा	कोई विलम्ब नहीं	6	15	5	धारित नहीं	20	46
19	दादरी जीपीएस	मेगा	4	24	7	2	27	4	68
20	अंता जीपीएस	मेगा	कोई विलम्ब नहीं	29	लागू नहीं	अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं	कोई विलम्ब नहीं	29

@ यद्यपि आरण्डएम योजनाओं के शुरू करने के समय संबंधित वित्तीय वर्षों के बीच में पड़ता था, तथापि बिलम्ब अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से गिने गए थे।

*इन आरण्डएम योजनाओं में विलम्बों पर बिचार नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंधन ने 2001 और 2007 के बीच परियोजनाओं में आरण्डएम गतिविधियाँ शुरू कर दी थी।

अनुबन्ध-III

{ पैरा संख्या 11.5.3.1(क) देखें }

विभिन्न आर एंड एम गतिविधियों में विद्युत स्टेशन/निगम कार्यालय में असमान्य विलम्ब के ब्यौरे

क्र. सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	आर एंड एम योजना का प्रकार	विलम्ब के मुख्य कारण
1	कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (केएसटीपीएस)(3x200एमडब्ल्यू) चरण-I	मेगा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ विद्युत स्टेशनों द्वारा पैकेजों का संशोधन ➤ अत्यावश्यकता तथा वैधानिक आवश्यकता के अनुपालन के आधार पर मेगा आर एंड एम योजना से सी एंड आई तथा ईएसपी पैकेजों को हटाया गया था। ➤ आरएंडएम पैकेज का मेगा जीवनकाल योजना से प्रचालन तथा अनुरक्षण को स्थानान्तरण ➤ सीईआरसी टैरिफ विनियमन में परिवर्तन के प्रकाश में ईडी स्तरीय सशक्त समिति द्वारा पैकेजों का संशोधन/विलोपन
2	कोरबा एसटीपीएस (3x200 एमडब्ल्यू), चरण-I	मेगा (सीएण्डआई)	
3	कोरबा एसटीपीएस (3x200 एमडब्ल्यू), चरण-I	मेगा (ईएसपी चरण I एवं II)	
4	कोरबा एसटीपीएस(3x500एमडब्ल्यू)चरण-II	मिड	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सशक्त समिति/वित्तीय समीक्षा एजेंसी द्वारा मिड लाइफ से मेगा लाइफ को आर एंड एम पैकेजों का स्थानान्तरण ➤ सीईआरसी टैरिफ विनियमावली में परिवर्तन ➤ प्रारंभ करने तथा निगमित कार्यालय को प्रस्तुतिकरण में विलम्ब के कारण अभिलेख पर नहीं थे।
5	कोरबा एसटीपीएस (3x500 एमडब्ल्यू) चरण-II	मिड (सीएण्डआई)	
6	सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन (एसएसटीपीएस) (5x200 एमडब्ल्यू) चरण-I	मेगा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ विद्युत स्टेशनों द्वारा पैकेजों का संशोधन ➤ कूलिंग जल वाहिनी तथा ईएसपी पैकेजों को कानून श्रेणी में परिवर्तन तथा वैधानिक आवश्यकता के अनुपालन के आधार पर मेगा आर एंड एम योजना से विलोपित कर दिया गया था।
7	सिंगरौली एसटीपीएस (5x200 एमडब्ल्यू) चरण-I	मेगा (सीडब्ल्यू जल वाहिनी)	

क्र. सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	आर एंड एम योजना का प्रकार	विलम्ब के मुख्य कारण
8	सिंगरौली एसटीपीएस (5x200एमडब्ल्यू), चरण-I	मेगा (ईएसपी चरण -I एवं II)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सीईआरसी टैरिफ विनियमन में परिवर्तन के मद्देनजर ईडी स्तरीय सशक्त समिति द्वारा आरएण्डएम योजनाओं का संशोधन/विलोपन
9	सिंगरौली एसटीपीएस (2x500 एमडब्ल्यू) चरण-II	मिड	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रारंभिक स्तर पर व्यापक आरएण्डएम प्रस्ताव/योजनाएं नहीं बनाई गई थी। ➤ पैकेजों का संशोधन तथा ईडी स्तरीय सशक्त समिति, द्वारा लिया गया अत्याधिक समय, ➤ सीईआरसी टैरिफ विनियमन में परिवर्तन के मद्देनजर ईडी स्तरीय सशक्त समिति द्वारा संशोधित/विलोपित की गई आरएण्डएम योजनाएं ।
10	सिंगरौली एसटीपीएस (2x500 एमडब्ल्यू) चरण-II	मिड (डीडीसीएमआईएस)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ विद्युत स्टेशन द्वारा पैकेजों का संशोधन ➤ ईडी स्तरीय सशक्त समिति द्वारा लिया गया असामान्य समय ➤ असामान्य समय सीईआरसी टैरिफ विनियमन में परिवर्तन की दृष्टि से ईडी स्तरीय सशक्त समिति द्वारा आर एंड एम योजनाएं संशोधित/विलोपित की गई।
11	झानौर गांधार जीपीएस(657.39 एमडब्ल्यू)	मेगा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सीईए को प्रस्तुत करने से पहले आर एंड एम प्रस्तावों का अनुमोदन करने के लिए ईडी स्तरीय सशक्त समिति द्वारा असामान्य समय लिया गया। ➤ सीईआरसी टैरिफ विनियमन में परिवर्तन के मद्देनजर ईडी स्तरीय सशक्त समिति द्वारा आरएण्डएम योजनाएं संशोधित/विलोपित की गई। ➤ प्रारंभ करने तथा निगम कार्यालय को प्रस्तुतिकरण में विलम्ब के लिए कारण अभिलेख पर नहीं थे।
12	दादरी टीपीएस(4x210 एमडब्ल्यू)	मिड	<ul style="list-style-type: none"> ➤ विद्युत स्टेशन द्वारा आर एंड एम प्रस्ताव भेजने में देरी ➤ सशक्त समिति द्वारा पैकेजों का संशोधन/विलोपन
13	दादरी जीपीएस (829.78 एमडब्ल्यू)	मेगा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सीईए को प्रस्तुत करने से पहले आर एंड एम प्रस्तावों का अनुमोदन करने के लिए ईडी स्तरीय सशक्त समिति द्वारा असामान्य समय लिया गया। ➤ सीईआरसी टैरिफ विनियमन में परिवर्तन के मद्देनजर ईडी स्तरीय सशक्त समिति द्वारा आरएण्डएम योजनाएं संशोधित/विलोपित की गई। ➤ प्रारंभ करने तथा निगम कार्यालय को प्रस्तुतिकरण में विलम्ब के लिए कारण अभिलेख पर नहीं थे।

2016 की प्रतिवेदन संख्या 15 (खण्ड 1)

क्र. सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	आर एंड एम योजना का प्रकार	विलम्ब के मुख्य कारण
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ सीईआरसी टैरिफ विनियमन में परिवर्तन के मद्देनजर ईडी स्तरीय सशक्त समिति द्वारा आर एंड एम योजनाएं संशोधित/विलोपित की गई थी।
14	बदरपुर टीपीएस (2x210 एमडब्ल्यू) यूनीट 4एवं5	मेगा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आरण्डएम पैकेज में संशोधन जो सीईए से पहले ही अनुमोदित थे, ➤ ईडी स्तरीय सशक्त समिति द्वारा आर एंड एम पैकेजों का संशोधन
15	बदरपुर टीपीएस (3x95 एमडब्ल्यू + 2x210 एमडब्ल्यू)	मेगा (सीएंडडब्ल्यू)	
16	अंता जीपीएस (419.33 एमडब्ल्यू)	मेगा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ स्टेशन द्वारा निगमित कार्यालय को आरण्ड एम प्रस्ताव के प्रस्तुतिकरण में देरी
17	रामागुंडमएसटीपीएस(3x200 एमडब्ल्यू) चरण-I	मेगा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ व्यापक प्रस्ताव आर एंड एम योजना के प्रारंभिक स्तर पर नहीं बनाया गया था। ➤ आवश्यक योजनाओं के आधार पर ईडी स्तरीय सशक्त समिति द्वारा आर एंड एम पैकेजों का संशोधन/विलोपन ➤ सीईआरसी टैरिफ विनियमन में परिवर्तन के मद्देनजर ईडी स्तरीय सशक्त समिति द्वारा आर एंड एम पैकेज संशोधित/विलोपित किए गए।
18	रामागुंडम एसटीपीएस(3x500 एमडब्ल्यू) चरण-II	मिड	<ul style="list-style-type: none"> ➤ व्यापक प्रस्ताव/योजनाएं प्रारंभिक स्तर पर नहीं बनाई गई थी। ➤ सीआरईसी टैरिफ विनियमन में परिवर्तन के मद्देनजर ईडी स्तरीय समिति द्वारा आर एंड एम योजनाओं में संशोधन/विलोपन ➤ ईडी स्तरीय सशक्त समिति द्वारा मेगा जीवनकाल में आर एंड एम योजनाओं का स्थानान्तरण/विलोपन
19	फरक्का टीपीएस(2x500 एमडब्ल्यू)चरण -II	मिड	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निगम कार्यालय के प्रारंभ करने में विलम्ब के लिए कारण अभिलेख पर नहीं थे।
20	फरक्का टीपीएस(3x200 एमडब्ल्यू)चरण-I	मेगा ईएसपी पैकेज	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निगम कार्यालय के प्रारंभ करने में विलम्ब के लिए कारण अभिलेख पर नहीं थे।